प्रेस विज्ञप्ति

14.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), रांची से जुड़े बड़े पैमाने पर गबन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 43.55 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियों और मुख्य आरोपी संतोष कुमार, उनकी पत्नी ललिता सिन्हा और उनके द्वारा नियंत्रित एक फर्जी कंपनी के नाम पर रखे गए इक्विटी शेयरों के रूप में हैं। यह कार्रवाई डीडब्ल्यूएसडी के कैशियर संतोष कुमार द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन की धोखाधड़ी से निकासी की चल रही जांच के बाद की गई है, जिसने कथित तौर पर फर्जी भुगतानकर्ता आईडी का इस्तेमाल किया और पैसे निकालने के लिए आधिकारिक भुगतान प्रणाली में हेरफेर किया।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। जांच से पता चला कि गबन की गई धनराशि को लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से लूटा गया था, जिसमें सह-षड्यंत्रकारियों के बीच कथित वितरण के लिए बड़ी मात्रा में नकदी निकालना और उनके अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में निवेश करना शामिल था।

ईडी ने पहले कई स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप नकदी और अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए थे, और 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करते हुए अपना प्रथम अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। 13 जून, 2025 को जारी की गई इस नवीनतम कुर्की आदेश के साथ, मामले में अब तक जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 2.75 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।